



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य जल पर्षद
गंगा परियोजना अंचल सं०-२,
पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना-800001.

पत्रांक:- _____ / पटना, दिनांक:-..... /

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
किशनगंज।

विषय:- ई.-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2018-19 (गुप सं०-01) के अन्तर्गत Construction of Har Ghar Nal Ka Jal under Mukhymantri Shahri Payjal Nischay Yojna at ward No.-08, Nagar Panchayat Bahadurganj का कार्य आवंटन करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-366 दिनांक-01/08/2018

महाशय,

नगर पंचायत, बहादुरगंज के द्वारा विषयांकित कार्य की निविदा ई.-टेंडरिंग पद्धति से NIT No.-01/2018-19 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु (वार्ड संख्या-08) के लिए आमंत्रित की गयी थी, जिसमें गुप सं०-01 में मात्र 02 (दो) निविदाकार यथा 1. NAIYER MUGHNI, MAHIYARPUR, KOCHADHAMAN, KISHANGANJ एवं 02. ATHAR HUSSAIN, MANGURA, DIGHALBANK, KISHANGANJ द्वारा भाग लिया गया है।

प्रस्तुत तुलनात्मक विवरणी के अनुसार प्रथम निविदाकार NAIYER MUGHNI के द्वारा परिमाण विपत्र दर पर (At the B.O.Q.) दर उद्धित किया गया है एवं द्वितीय निविदाकार ATHAR HUSSAIN के द्वारा परिमाण विपत्र दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक दर उद्धित किया गया है।

दर बीड के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार NAIYER MUGHNI, MAHIYARPUR, KOCHADHAMAN, KISHANGANJ द्वारा उद्धित दर, जो न्यूनतम है।

अतः न्यूनतम दर-दाता NAIYER MUGHNI, MAHIYARPUR, KOCHADHAMAN, KISHANGANJ को परिमाण विपत्र की राशि ₹46,27,085/- (छियालीस लाख सताईस हजार पचासी) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज एकरारनामा करने के पूर्व वांछित कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त उसका सत्यापन कराकर ही एकरारनामा करेंगे एवं निम्न निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छः) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जांचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैद स्वरूप प्रयुक्त किया जाय, जिसमें दर अंक एवं शब्द दोनों में हो।

क०.प०.उ०

2072
11-8-18

4. रोटरी रिभर्स मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित सयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संबंधित निविदाकार को संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अग्रधन की राशि की जांच निश्चित रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य भीघ्न प्रारम्भ कराया जाय।
7. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से की जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
8. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (डुडा), किशनगंज के देख-रेख में करवाना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पादित करवायी जाय।
10. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।
11. पाईप लाईन बिछाने के पूर्व HDPE/MDPE पाईप की गुणवत्ता की तृतीय पार्टी जांच (Third Party inspection) CPET हाजीपुर से अवश्य करा ली जाय। अन्य सामान जैसे फेरुल, फिटिंग्स इत्यादि ISI मार्क का ही प्रयुक्त किया जाय।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट Mild steel Angle पर लगाना आवश्यक है, जो PCC से Fix किया गया हो।

प्राप्त तुलनात्मक विवरणी मूलरूप में सभी निविदा कागजात के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस की जा रही है।
अनु०:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह०/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं०-२, पटना।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक:-...../ पटना, दिनांक:-...../
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं०-२, पटना।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक:-**688** / पटना, दिनांक:-**27/08/2018**
श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं०-२, पटना।